परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक 2316(1)रो/12–17रो/2009 पार्ट–2 **दिनांक 11 अक्टूबर 2012**

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो/वित्त),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– टोल फीस वसूलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 2316 रो/12–17रो/2009 पार्ट–2 दिनांक 21 सितम्बर 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मार्ग पर भुगतान किये गये टोल राशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए दिशा निर्देश जारी किये गये थे। निर्गत परिपत्र के बिन्दु–1 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है। शेष यथावत् लागू रहेगा।

जिन मार्गो पर टोल के मद में भुगतान राशि औसत प्रति यात्री रू0 3.00 से अधिक आ रही है, उन मार्गो हेतु टोल के मद में भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि को बड़ी बस में 35 यात्री के आधार पर प्रति यात्री गणना कर प्रति यात्री से टोल के रूप में धनराशि वसूल की जायेगी तथा अन्य सीट क्षमता की बसो में टोल के मद में यात्री से वसूल की जाने वाली प्रति यात्री धनराशि बड़ी बस के यात्री हेतु प्रति यात्री आगणित राशि के समतुल्य होगी जिससे एक ही मार्ग पर यात्री किराये में अन्तर न आने पाए।

अतः भुगतान किये गये टोल राशि की प्रतिपूर्ति के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक एवं समदिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक एवं सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2– निजी सचिव, मु0प्र0प्र0(प्रशासन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3– निजी सचिव, वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4– मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्राविधिक/संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5– समस्त प्रधान प्रबन्धक/नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(एच0एस0 गाबा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)

212(1)ST agust12.doc